भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 956

जिसका उत्तर 08.02.2024 को दिया जाना है

सड़क डिजाइन में त्रुटियों का आकलन

956. श्री विनोद लखमशी चावड़ा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने गुजरात में विशेषकर भुज, अबडासा, गांधीधाम, रापर, माणदेवी और अंजार जिलों में सामान्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों पर तीव्र मोड़ों, गड्ढों, खड़ी ढलानों, संकरी गलियों, एक लेन अथवा अन्य दुर्घटना प्रवण और सर्विस रोड, उपरिपुलों और अंडरपासों की आवश्यकता के संबंध में कोई सर्वेक्षण अथवा अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों को यात्रियों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के मानकों/दिशानिर्देशों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों, प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय मानकों और उद्योग के बेहतर तरीकों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों (रारा) का डिजाइन, निर्माण और रखरखाव किया जाता है। परियोजना कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों जैसे परियोजना की तैयारी, सड़क सुरक्षा से संबंधित आईआरसी कोड/दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए निर्माण और संचालन चरण में सड़क सुरक्षा ऑडिट किया जाता है। क्षेत्रीय सामाजिक-आर्थिक विकास के कारण समय के साथ सड़क किनारे का वातावरण और यातायात की स्थिति भी बदलती रहती है, जिसके लिए और अधिक सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता होती है।

परियोजना तैयार करने और आगे सड़क सुरक्षा ऑडिट के दौरान, सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले तीव्र मोड़, गड्ढे, खड़ी ढलान, संकीर्ण लेन, सिंगल लेन, दुर्घटना संभावित बिंदु जैसी खामियों और सर्विस रोड़, ओवर ब्रिज और अंडरपास जैसी उन्नयन आवश्यकताओं की पहचान की गई है और आवश्यक सुधारात्मक उपाय किये गये हैं। मंत्रालय और इसकी निष्पादन एजेंसियां मानक बोली दस्तावेजों जैसे (i) इंजीनियरिंग खरीद अनुबंध (ईपीसी) (ii) हाइब्रिड वार्षिकी मोड रियायत समझौता और (iii) बीओटी (टोल/वार्षिकी) रियायत समझौता का अनुपालन करती हैं । इस तरह के अनुबंध/रियायत समझौतों में ठेकेदारों/रियायतग्राहियों द्वारा निर्माण के दौरान, डिज़ाइन चरण में यातायात शुरू करने से पहले और संचालन के दौरान अनिवार्य रूप से सुरक्षा ऑडिट कराने का प्रावधान है, जिसके बाद आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाते

हैं, जिनका अनुपालन सभी रारा परियोजनाओं में किया जाता है। रारा खंड के संचालन चरण के दौरान आवश्यकताओं के अनुसार स्टैंडअलोन सड़क सुरक्षा कार्य भी किए जाते हैं। इसके अलावा, रारा को गड्ढा मुक्त और यातायात योग्य स्थिति में रखने के लिए नियमित मरम्मत और रखरखाव कार्य किए जाते हैं।

चौड़ीकरण/उन्नयन कार्यों के भाग के रूप में और स्टैंडअलोन आधार पर सड़क सुरक्षा सुधार के लिए गुजरात के कच्छ जिले के भुज, अब्दासा, गांधीधाम, रापर, मांडवी और अंजार में पिछले 5 वर्षों के दौरान किए गए सुधारात्मक उपायों का विवरण नीचे दिया गया है:

जिला	**रारा खंड**	**स्थिति**
गुजरात		
कच्छ	रारा-341 का भुज-खावड़ा-धर्मशाला खंड	पूरा हो गया
	रारा-754के का लखपत-हाजीपीर-धोलावीरा-संतालपुर खंड	कार्यान्वयनाधीन
	रारा-41 पर मांडवी बाइपास	कार्यान्वयनाधीन
	एनएच-41 का मांडवी-नारायण सरोवर खंड	कार्यान्वयनाधीन
	रारा-8ए (विस्तार) का गांधीधाम-कांडला-मुंद्रा खंड	पूरा हो गया
	रारा-41 का समख्याली-गांधीधाम खंड	पूरा हो गया
	रारा-27 का संतालपुर समख्याली खंड	कार्यान्वयनाधीन
	रारा-341 का भीमासर-अंजार-भुज	कार्यान्वयनाधीन

*****